(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 15 / 2015–2020
दिनांकः 1 जूलाई, 2022

विषयः– सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 की 4 माह की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत आवेदनों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाना।

सा.आ.(अ.): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 58 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 3.13 क में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

<table>
<tr><th>दिनांक 07.03.2022 की अधिसूचना सं. 58 के अनुसार वर्तमान पैरा 3.13 क</th><th>संशोधित पैरा 3.13 क</th></tr>
<tr><td>दिनांक 07.03.2022 से कतिपय स्क्रिप आधारित स्कीमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और ऐसे आवेदनों पर लागू विलंब कटौती इस प्रकार होगीः–
<table>
<tr><th>स्कीम</th><th>आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि</th><th>विलंब कटौती यदि अंतिम तिथि तक जमा की जाती है जैसा कि कॉलम 2 में दर्शाया गया है
(स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के प्रतिशत के रूप में)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>(i) एमईआईएस (01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिऐं)</td><td>30.04.2022</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
</td><td>दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत ऑनलाईन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार लागू विलंब कटौती निम्नानुसार होगीः
<table>
<tr><th>स्कीम</th><th>आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि</th><th>विलंब कटौती यदि अंतिम तिथि तक जमा की जाती है जैसा कि कॉलम 2 में दर्शाया गया है
(स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के प्रतिशत के रूप में)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>(i) एमईआईएस (01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिऐं)</td><td>31.08.2022</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
निर्धारित अंतिम तिथि (उपर्युक्त के अनुसार) के बाद कोई और एमईआईएस आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे आवेदन कालातीत हो जाएंगे। इसके बाद की तिथि पर दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।</td></tr>
</table>

सं. सारंगी

(ii) 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3.25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)	30.04.2022	शून्य
(iii) आरओएससीटीएल (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों के लिए)	15.03.2022	शून्य
(iv) आरओएसएल (06.03.2019 तक किए गए निर्यातों जिनके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)	15.03.2022	शून्य

निर्धारित अंतिम तिथि (उपर्युक्त के अनुसार) के बाद कोई और आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे आवेदन कालातीत हो जाएंगे। इसके बाद में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** दिनांक 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस के तहत आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31.08.2022 तक आगे बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
1.7.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी3 (पार्ट–1) से जारी)